तारीख हुक्म	हनुमान बनाम मोतीलाल वगै हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा नं — 52/2016	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
30.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हो जाने से तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् के तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत हो जाने से वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 113/भू.अ./2019 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा ट्रेस को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Rathore 30/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.04.01 17:22:12 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला– सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
52/2016	2016/538	09.03.2016	30.03.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. हणमान पुत्र श्री झूंथाराम मृत्तक के बजाय:–

1/1 कालूराम पुत्र स्व0 हणमान

1/2 गोविन्दराम पुत्र स्व0 हणमान

1/3 बाबूलाल पुत्र स्व0 हणमान

1/4 श्रीमती नानूडी देवी पत्नि स्व0 हणमान

जाति माली निवारी पुरानी ढाणी पोलादास तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

वादीगण

बनाम्

1. मोतीलाल पुत्र सेड़ूराम आयु 65 वर्ष
2. फूली देवी पत्नि राधेश्याम आयु 52 वर्ष
3. शकुन्तला देवी पत्नि बंशीधर आयु 40 वर्ष
4. विदामी देवी पत्नि रामस्वरूप आयु 68 वर्ष

समस्त जाति माली, निवासीगण ढाणी पोलादास तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
6. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय श्रीमाधोपुर
7. पटवारी हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

20/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थित–

श्री सोहन लाल सैनी वादीगण अभिभाषक।
श्री कमल कुमार शर्मा, प्रतिवादी नं. 1 व 4 अभिभाषक
श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, प्रतिवादी नं. 2 व 3 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सं. 5

वादपत्र तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 0.88 हैक्टर, 33 रकबा 0.23 हैक्टर, 34 रकबा 0.22 हैक्टर, 35 रकबा 0.51 हैक्टर, 37 रकबा 0.98 हैक्टर, 37/756 रकबा 0.0500 हैक्टर, 38 रकबा 0.16 हैक्टर, 39 रकबा 0.3800 हैक्टर, 40 रकबा 0.0300 हैक्टर, 42 रकबा 1.4600 हैक्टर, 43 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.18 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है जिसकी खातेदारी वर्तमान में हिस्सा 1/2 वादी के नाम एंव प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हिस्सा 62/259 व प्रतिवादीगा नम्बर 2 के नाम हिस्सा 53/259 व प्रतिवादिया नम्बर 3 के नाम हिस्सा 53/259 व प्रतिवादिया नम्बर 4 के नाम 88/259 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और उक्त खातेदारी पक्षकारान की शामलाती है। उक्त हिस्सानुसार पक्षकारान् ने बाह्मी बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु खातेदारी शामलाती होने से प्रतिवादीगण मनमर्जी से व बेशकीमती भूमियों पर निर्माण कार्य कर रहे है तथा मुख्य रास्ते से ढ़ाणी तक स्थित शामलाती रास्ते [illegible] छेड़छाड़ करते है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि का वैधानिक तकासमा करवाये बिना प्रतिवादीगण कृषि भूमि को अकृषि में बदल रहे है तथा व्यावसायिक निर्माण कार्य कर रहे है तथा प्रतिवादीगण व उनके परिजनों ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है तथा मनमर्जी से शामलाती खातदेरी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमियों को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है तथा मनचाही जगह पर बलात् कब्जा कर वादी को उसके हक हिस्सा व कब्जे की भूमियों से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादीगण व उनके परिवारजनों का कोई हक अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण व उनके परिजनों ने करीब 25 रोज पूर्व वादी को धमकी दी है कि वे भूमियों का बिना बंटवारा करवाये ही उक्त भूमियों के प्लाट काटकर विक्रय करने तथा प्लाटिंग कर दीगर,अजनबी व्यक्तियों का बलात कब्जा करवाने व वादी को उसके हिस्सा व कब्जे की भूमि से बेदखल करने व कदीमी रास्ता को बंद करने की दी है। जिस पर प्रतिवादी नम्बर 5 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रार्थना पत्र पेश करने पर उन्होनें पटवारी हल्का हांसपुर को दिनांक 10.02.2016 को आदेश दिये जाने पर पटवारी ने दिनांक 23.2.2016 को प्रस्तुत रिपोर्ट में रास्ता व भूमि बंटवारे का विवाद होने पर तकास्मा किया जाना संभव नहीं होने पर दावा बाबत तकास्मा के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। इसलिये न्यायहित मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक होने से उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में वाद करना आवश्यक हुआ है।

वकील वादीगण ने दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि:– कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 0.88 हैक्टर, 33 रकबा 0.23 हैक्टर, 34 रकबा 0.22 हैक्टर, 35 रकबा 0.51 हैक्टर, 37 रकबा 0.98 हैक्टर, 37/756 रकबा 0.0500 हैक्टर, 38 रकबा 0.16 हैक्टर, 39 रकबा 0.3800 हैक्टर, 40 रकबा 0.0300 हैक्टर, 42 रकबा 1.4600 हैक्टर, 43 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.18 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] विधिक तकास्मा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया [illegible] खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खाते[illegible] से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादी नं. 1 ने उपस्थित होकर वादी के कायम मुकामान के पक्ष में राजीनामा पेश करने पर राजीनामा दिनांक 09.07.2019 को तस्दीक किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 की तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट ने एंव प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने में कोई एतराज नहीं होना अवगत कराये जाने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.11.2019 को जारी की जाकर विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2624/भू.अ./2020 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा प्राप्त हुई। उक्त विभाजन प्रस्ताव माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी नवीनतम निर्देशानुसार नहीं भिजवाये जाने पर प्रकरण में पुनः विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1283/रीडर/2021 दिनांक 14.09.2021 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाहे गये। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] के जरिये पत्रांक 113/भू.अ./2022 दिनांक 12.01.2022 के द्वारा [illegible] शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में [illegible]कारान् के मध्य आपस में राजीनामें हो जाने तथा अन्य पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में सहमति प्रदान कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

10/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दिये जाने से तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला [illegible] जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 कुल चार जमाबन्दियों में वर्णित विवरणानुसार वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्ड सह खातेदार है। इस आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का कब्जे काश्त अनुसार कृषि भूमियों का विधिक विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण एंव वकील प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने उचित प्रतित होता है। वकील वादीगण व पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से वादपत्र को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 12.01.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

10/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	मोतीलाल पुत्र रोडूराम हि0 1/8, कालूराम पुत्र हणमान हि01/6, गोविन्दराम पुत्र हणमान हि0 1/6, बाबूलाल पुत्र हणमान हि0 1/6, फूली देवी पत्नि राधेश्याम हि0 1/10, शकुन्तला पत्नि बंशीधर हि0 1/10, बिदामी पत्नि रामस्वरूप हि0 7/40 समस्त जाति माली (राहिन बिदामी देवी हि07/40 राहिन बी.आर.के.जी.बी.शाखा श्रीमाधोपुर)	37/756 37/3 कुल किता–2	0.05 0.03 कुल रकबा– 0.08 है0	गै0मु0 रास्ता चाही प्रथम	
2	मोतीराम पुत्र रोडूराम जाति माली	37/2	0.6400	बारानी–2 चाही	
3	कालूराम पुत्र हणमान हि0 85/446, गोविन्दराम पुत्र हणमान हि0 85/446, बाबूलाल पुत्र हणमान हि0 85/446, फूली देवी पत्नि राधेश्याम हि0 261/2230, शकुन्तला पत्नि बंशीधर हि0 261/2230, बिदामी पत्नि रामस्वरूप हि0 433/2230 समस्त जाति माली सा. देह (राहिन बिदामी देवी हि0 433/2230 राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा श्रीमाधोपुर)	32 33 34 35 38 39 40 ढ़ाणी 42 43 37/1 37/4 कुल किता–11	0.88 0.23 0.22 0.51 0.16 0.38 0.03 1.46 0.28 0.1215 0.1885 कुल रकबा 4.46 है0	बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 बारानी–2 चाही–1 बारानी–2 चाही–1 चाही–1 चाही–1 बारानी–2 चाही–1 ढ़ाणी0.02 चाही–1 चाही–1	

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरो[illegible] स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2022/113 दिनांक

30/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible].2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम [illegible] का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन करने के [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.01 17:22:12 IST
Reason: SelfAttested